संख्या-58/2018/क0नि0-4-1167/11-2018-300(48)/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 30 नवम्बर, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर कार्यालय भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में 02 नग लिफ्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-नोयडा-03(III)/लिफ्ट/2018-19/ 611/वाणिज्य कर, दिनांक 05.10.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में 02 नग लिफ्ट लगाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था कांस्ट्रकशन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-28, गाजियाबाद द्वारा आगणित कुल धनराशि रू0 118.95 लाख (रूपया एक करोड़ अट्ठारह लाख पनचान्वे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(i) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

(iii) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कमिश्नर, वाणिज्य कर की होगी तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयसीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाए।

(iv) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(v) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(vii) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(viii) कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-08-वाणिज्य कर कार्यालय भवनों में लिफ्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-58/2018/क0नि0-4-1167(i)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहबाद।
2-निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-एडी0 कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
5-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
6-परियोजना प्रबन्धक, कांस्ट्रकशन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-28, गाजियाबाद।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।